

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-5/5/2017

संख्या-12/वि0-6010/2015 सा0प्र0- 5401 / विभागीय अधिसूचना सं0-4182,
दिनांक-08.04.2017 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री प्रभात कुमार, बि0प्र0से0 (को0क्र0-1343/11,
गृह जिला-पटना), भूमि सुधार उप समाहर्ता, राजगीर, नालंदा के स्थान पर मो0 खबीर, बि0प्र0से0
(को0क्र0-602/11, गृह जिला-सहरसा), अपर समाहर्ता, नालंदा को अपने कार्यों के अतिरिक्त
गेल इंडिया लिमिटेड में P & MP, Act 1962 के तहत अगले आदेश तक सक्षम प्राधिकार के रूप
में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(मीम प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-12/वि0-6010/2015 सा0प्र0- 5401 / पटना-15, दिनांक-5/5/2017

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई0टी0,
प्रबंधक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में
प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, (ले0 एव ह0), बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग)
विभाग, बिहार, पटना/जिल पदाधिकारी, पटना/नालंदा/औरंगाबाद/उप महाप्रबंधक, गेल इंडिया
लिमिटेड, B-35-36, Jubilee Tower, Sector-1, NOIDA-201301/मुख्य प्रबंधक (निर्माण) होटल
पाटलिपुत्रा अशोक कॉम्प्लेक्स, बीरचन्द पटेल पथ, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन
विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/मो0 खबीर, बि0प्र0से0,
अपर समाहर्ता, नालंदा/श्री प्रभात कुमार, बि0प्र0से0, भूमि सुधार उप समाहर्ता, नालंदा को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।